भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं- 206
जिसका उत्तर मंगलवार, 15 सितंबर**,** 2020/24 भाद्रपद,1942 (शक) को दिया जाना है

जीएसटी के अंतर्गत राज्यों को राजस्व का भुगतान

206. श्रीमती फूलो देवी नेतम:
क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोरोना महामारी के दौरान माल और सेवा कर के अंतर्गत राज्यों द्वारा संग्रहित वास्तविक राजस्व अनुमानित राजस्व से कम है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार राज्य सरकारों को क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए फार्मूले को पुन: निर्धारित करने का विचार रखती है, यदि हां, तो इसे किस प्रकार किया जाएगा, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कई राज्यों को जीएसटी के अंतर्गत राजस्व का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): राज्यवार जीएसटी राजस्व संग्रह का विवरण **अनुबंध- I** के अनुसार हैं।

(ख): जी नहीं, जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार राज्यों को क्षतिपूर्ति जारी रहेगी।

(ग): अप्रैल से जुलाई, 2020 तक की अवधि के लिए राज्यों को लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति का विवरण **अनुबंध- II** के अनुसार है। जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2020-21 में संग्रहित जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, अप्रैल-जुलाई, 2020 की अवधि के लिए स्वीकार्य जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, जुलाई, 2020 तक संग्रहित जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का आंशिक रूप से उपयोग मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए राज्यों को जारी की गई जीएसटी क्षतिपूर्ति के प्रयोजन से किया गया है।

*****

अनुबंध - I

जीएसटी संग्रहण

(राशि करोड़ रुपये में)

	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	कमी प्रतिशत में
1	जम्मू और कश्मीर	1680	1169	-30
2	हिमाचल प्रदेश	3390	2219	-35
3	पंजाब	6497	4580	-30
4	चंडीगढ	821	578	-30
5	उत्तराखंड	6327	3760	-41
6	हरियाणा	23975	15869	-34
7	दिल्ली	18524	11907	-36
8	राजस्थान	13576	10066	-26
9	उत्तर प्रदेश	27170	19563	-28
10	बिहार	5294	4081	-23
11	सिक्किम	916	855	-7
12	अरुणाचल प्रदेश	235	199	-15
13	नागालैंड	122	136	12
14	मणिपुर	162	120	-26
15	मिजोरम	128	72	-44
16	त्रिपुरा	276	270	-2
17	मेघालय	645	459	-29
18	असम	4062	3171	- 22
19	पश्चिम बंगाल	18389	11781	-36
20	झारखंड	10091	5967	-41
21	ओडिशा	13011	9889	-24
22	छत्तीसगढ़	10266	8549	-17
23	मध्य प्रदेश	11626	9041	-22
24	गुजरात	32503	22049	-32
25	दमन व दीव	483	270	-44
26	दादर और नागर हवेली	777	482	-38
27	महाराष्ट्रा	75910	52154	-31
28	कर्नाटक	34362	24763	-28
29	गोवा	1788	1012	-43
30	लक्षद्वीप	7	6	-18
31	केरल	7861	5220	-34
32	तमिलनाडु	30528	19797	-35
33	पुडुचेरी	758	544	-28
34	अडमान और निकोबार द्वीप समूह	151	103	-32
35	तेलंगाना	15949	11762	-26
36	आंध्र प्रदेश	11187	8237	-26
37	लद्दाख		35	-
38	अन्य क्षेत्र	807	617	-24
39	केंद्रीय अधिकार क्षेत्र	399	629	58
	कुल योग	**390650**	**271979**	**-30**

अनुबंध-II

जीएटी क्षतिपूर्ति का व्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्त वर्ष 2020-21(अप्रैल-जुलाई,20) के लिए देय अनंतिम जीएसटी क्षतिपूर्ति
(1)	(2)	(3)
1	आंध्र प्रदेश	4627
2	अरूणाचल प्रदेश	0
3	असम	2149
4	बिहार	4493
5	छत्तीसगढ़	2827
6	दिल्ली	6931
7	गोवा	987
8	गुजरात	11563
9	हरियाणा	5841
10	हिमाचल प्रदेश	1623
11	जम्मू-कश्मीर	2104
12	झारखंड	2475
13	कर्नाटक	13763
14	केरल	7077
15	मध्य प्रदेश	5863
16	महाराष्ट्र	22485
17	मणिपुर	53
18	मेघालय	255
19	मिजोरम	6
20	नागालैण्ड	27
21	ओडिशा	3633
22	पुडुचेरी	564
23	पंजाब	6959
24	राजस्थान	6312
25	सिक्किम	69
26	तमिलनाडु	11269
27	तेलंगाना	5424
28	त्रिपुरा	259
29	उत्तर प्रदेश	11742
30	उत्तराखंड	2235
31	पश्चिम बंगाल	7750
	कुल	**151365.00**